को पेश हो।

3/11/22 — पत्रावली आज पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। जवाब जवाब पेश हुआ। शा०का० हो। वकील प्रार्थी द्वारा बहस हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बाबत निर्णय पत्रावली दि० 29/11/22 को पेश हो।

29/11/22 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली में निर्णय लिखवाया जाकर शा०का० किया गया। पत्रावली बाद तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री अंजना सहरावत(आर.ए.एस.)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
08 / 2022	17 / 11 / 2022	29 / 11 / 2022

केदारलाल पुत्र मथुरालाल जाति मीना निवासी भवानीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि बंदोबस्त सम्वत 2041–2060 से पूर्व ग्राम खेडली बेरीसाल तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0) के माल में खसरा संख्या 2 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज थी जो कि मुख्य सड़क के सहारे स्थित थी तथा गत खसरा 2 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1 स्थित था। बंदोबस्त से पूर्व का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। भू–प्रबन्ध संक्रिया सम्वत् 2041–2060 के फलस्वरूप गत खसरा संख्या 2 के नवीन खसरा संख्या 2 रकबा 3.12 हैक्टर तथा खसरा संख्या 1 के नवीन खसरा संख्या 1 रकबा 0.21हैक्टर पैमूद किए गऐ। भू–प्रबन्ध संक्रिया सम्वत 2041–2060 के उपरान्त नक्शा लठ्ठा में गत खसरा संख्या 2 के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा संख्या 1 को पूर्ववत् दक्षिण दिशा में कायम नहीं किया जाकर पूर्व दिशा में कायम कर दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण होने दुरस्त किये जाने योग्य है। जबकि वर्तमान खसरा संख्या 1 मौके पर पूर्ववत् खसरा संख्या 2 दक्षिण दिशा में ही स्थित है। भू–प्रबन्ध विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उक्तानुसार नक्शा लठ्ठे में गत खसरा संख्या 1 को बाद बंदोबस्त खसरा संख्या 2 के दक्षिण दिशा के बजाय, खसरा संख्या 2 के पूर्व दिशा में पैमूद करे जबकि प्रार्थी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इस सक्षम सम्मानीय न्यायालय की सहायता से नवीन खसरा संख्या 1 को बंदोबस्त से पूर्व के नक्शे के मुताबिक ही खसरा संख्या 2 के पूर्व दिशा से विलोपित करवाकर बंदोबस्त से पूर्व के नक्शे एवम् वर्तमान मौका स्थिति के अनुरूप ही खसरा संख्या 2 के दक्षिण दिशा में नक्शा लठ्ठा में एवम् वर्तमान आनलाइन नक्शे में दर्ज करवाऐं। तदर्थ श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त त्रुटि के सुधार हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निवेदन करने पर उनके द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष कार्यवाही करने हेतु हिदायत की गई। इसलिए न्यायालय श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र नियत न्याय

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

शुल्क 1 रूपये पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया कि नवीन खसरा संख्या 1 को नवीन खसरा संख्या 2 के पूर्व दिशा से विलोपित करते हुये बंदोबस्त से पूर्व के नक्शे एवम् वर्तमान मौका स्थिति के अनुरूप ही खसरा संख्या 2 के दक्षिण दिशा में नक्शा लट्ठा में एवम् वर्तमान आनलाइन नक्शे मे दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट शाईस्ता ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा से जवाब सरकार तलब किया गया।

तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि

1. यह कि बन्दोबस्त सम्वत् 2041–260 से पूर्व ग्राम खेडली बेरीसाल तहसील पीपल्दा की आराजी खसरा संख्या 2 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा था उक्त खसरा संख्या 2 के उत्तर दिशा में ग्राम खेडली बेरिसाल का खसरा संख्या 1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा नक्शे में दर्ज था। जबकि खसरा संख्या 1 मुख्य सडक इटावा खातौली के सहारे स्थित था
2. यह कि भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा वक्त बन्दोबस्त सम्वत् 2041 से 2060 में गत खसरा संख्या 2 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा का नवीन खसरा संख्या 2 रकबा 3. 5.12है0 तथा खसरा संख्या 1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का नवीन खसरा संख्या 1 रकबा 0.21है. कायम किये गये।
3. यह कि वक्त बन्दोबस्त सम्वत् 2041–2060 ग्राम खेडली बेरिसाल के नक्शा लट्ठा में, उक्त खसरा संख्या 2 के उत्तर दिशा में स्थित खसरा संख्या 1 को सहवन से पूर्व दिशा में – प्रार्थी खातेदार तथा सडक के मध्य कायम कर दिया गया। खसरा संख्या 1 को उत्तर दिशा के स्थान पर पूर्व दिशा में कायम करना, त्रुटिपूर्ण होने से दुरुस्त करने योग्य है। मौके पर वर्तमान में खसरा संख्या 2 मुख्य सडक तक लगा होकर, प्रार्थी खातेदार के कब्जा काश्त में है।

अतः प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम खेडली बेरिसाल के उक्त खसरा संख्या 1 रकबा 0.21है. को प्रार्थी के खसरा संख्या 2 व मुख्य सडक के बीच के बजाय पूर्ववत स्थित उत्तर दिशा में वर्तमान मौका स्थिति अनुसार नक्शे में दुरुस्त कर, कायम किया जाना उचित होगा। उक्त दुरुस्ती से ग्राम के सम्पूर्ण रकबा व अन्य आराजियात खसरा संख्या 2 व 3 के रकबों में परिवर्तन नहीं होगा।

जवाब सरकार प्राप्त होने पर बहस बकुलाय फरीकेन सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के आद्योपरान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटि की गई है तथा जवाब सरकार के अनुसार ग्राम खेडली बेरिसाल के खसरा संख्या 1 रकबा 0.21है. को प्रार्थी के खसरा संख्या 2 व मुख्य सडक के बीच के बजाय पूर्ववत स्थित उत्तर दिशा में वर्तमान मौका स्थित अनुसार नक्शे में दुरुस्त कर, कायम किया जाना उचित होगा।

अंजनी सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

सैटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा

N

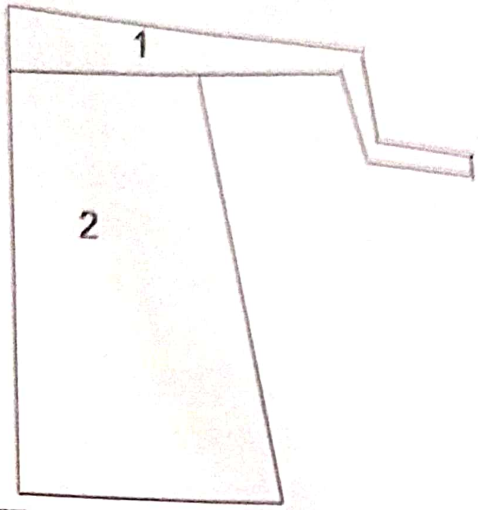

सैटलमेन्ट के बाद का वर्तमान नक्शा

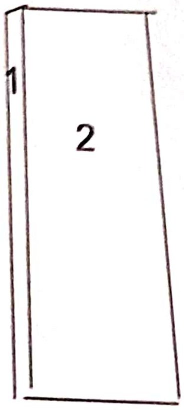

शुद्धि के उपरान्त संशोधित किये जाने वाला नक्शा

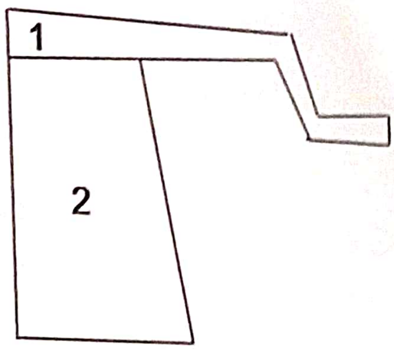

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंर्तगत धारा 111, 128 एवं 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम , तहसीलदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेडली बेरीसाल के खसरा संख्या 1 रकबा 0.21है. को प्रार्थी के खसरा संख्या 2 व मुख्य सडक के बीच के बजाय पूर्ववत स्थित उत्तर दिशा मे वर्तमान मौका स्थिति अनुसार नक्शे में दुरुस्त कर, कायम किया जाकर वर्तमान नक्शे मे अंकित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा